Phone & Fax no.0135-2431159 email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 588/12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 13 / 9 /2023,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डी०टी० रोड़ से कुमारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.89 है० आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या– (FP/UK/ROAD/9590/2015)**

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक–745/12–1, दिनांक–23.08.2023,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत की गयी थी जिसका निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपने संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 3.786 है० सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.786 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू 1158687.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–1)** व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 1.89 वनभूमि के सापेक्ष 2 गुने क्षेत्रफल 3.786 है० भूमि पोखरियाल गाँव में वर्ष 2021–22 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक–19.09.2020 द्वारा पोखरियाल गाँव की उक्त 3.786 है० भूमि को वन पंचायत के नाम दर्ज कर शासन द्वारा अधिसूचना जारी करायी गयी है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5–3/2007–एफ०सी० दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रू० 1597050.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है जो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 1597050.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है, साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी यह प्रमाण–पत्र देती है कि यदि NPV धनराशि में वृद्धि होती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह जमा की जायेगी। **(संलग्नक–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चत करें, कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV ETC) का बेब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CA Cost, NPV ETC) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा चालान Generate कर दिया है। **(संलग्नक–1)**

5	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन विभाग द्वारा Strip Plantation की मांग नही की गयी है।
6	State Govt. may upload correct distance of the proposed site for diversion from the boundary of RF/PF at para-7 of online Part-II	उक्त शर्त का अनुपालन किया गया है।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

संख्याः-582 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–745/12-1, कोटबंगला दिनांक 23/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डी0टी0 रोड़ से कुमारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.89 है0 आरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–FP/Uk/ROAD/9590/2015 dated 07-11-2015.**

सन्दर्भ:– **अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0 एस वार्ड,सिचाई खण्ड उत्तरकाशी का कार्यालय पंत्राक संख्या – 1494/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/दिनॉक–24.07.2023.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है, कि विषयक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 हे0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जो कि निम्नवत् है:–

क्र0सं0	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यार्वन भूमि के बदले 3.786 है0 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगीं। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.786 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 1158687.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–1)** व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 1.89 वनभूमि के सापेक्ष 2 गुने क्षेत्रफल 3.786 है0 भूमि पोखरियाल गॉव में वर्ष 2021–22 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्व विभाग द्वारा दिनॉक–19.09.2020 द्वारा पोखरियाल गॉव की उक्त 3.786 हे0 भूमि को वन पंचायत के नाम दर्ज कर शासन द्वारा अधिसूचना जारी करायी गयी है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रू0 1597050.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी हैं।**(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है जो बढ़ी हुए दर के अनुसार अतिरिक्त अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जा रहे है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 1597050.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है, साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी यह प्रमाण पत्र देती है..कि यदि NPV धनराशि वृद्धि होती है, तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा यह जमा की जायेगी।**(संलग्नक–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे, कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost,NPV ETC) का बैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रधिकरण (CA Cost,NPV ETC) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा चालान Generate कर दिया है।**(संलग्नक–1)**

	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन विभाग द्वारा Strip Plantation हेतु धनराशि की मॉग नहीं की गई है।
6	State Govt. may upload correct distance of the proposed site for diversion from the boundary of RF/PF at para-7 of online Part-II	उक्त शर्त का अनपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण मे वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।</u>

भवदीय,

(डी0पी0बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

<u>प्रतिलिपिः–</u> अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित की उक्त आख्या को अपने स्तर से ऑनलाइन पोर्टल परिवेश पोर्टल मे अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी0पी0बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

Tele Phone/Fax No-01374-223804 Email ecpmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांक 1494/पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख./ दिनांक 24/07//2023

सेवामे,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वनप्रभाग
कोटबंगला, उत्तरकाशी

विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डी०टी० रोड से कुमारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.89 है0 आरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या FP/UK ROAD/ 9590/2015 Dated 07–11–2015.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्मित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत डी०टी० रोड से कुमारकोट मोटर मार्ग पर 1.89 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 6 तक की सभी शर्तो का निम्नानुसार पालन किया जा चुका है।

क्र सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.786 है0 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.786 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू० 1158687.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है (संलग्नक–1) व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 1.89 वनभूमि के सापेक्ष 2 गुने क्षेत्रफल 3.786 है0 भूमि। कुल 3.786 है० पोखरियाल गांव मे वर्ष 2021–22 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 19.03.2020 द्वारा पोखरियाल गावं की उक्त 3.786 है० भूमि को वन पंचायत के नाम दर्ज कर शासन द्वारा अधिसूचना जारी करायी गय है। (संलग्नक–2)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार क पत्रांक 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रू० 1597050.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है (सलंग्नक–1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है जो बढी हुए दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जा रहे है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 1597050.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है, साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी यह प्रमाण पत्र देती है.. कि यदि NPV धनराशि वृद्धि होती है, तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा यह जमा की जायेगी। (संलग्नक–3)।

D/Man

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें, कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV ETC) का वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवन्धनं तथा योजना प्रधिकरण (CA Cost, NPV ETC) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा चालान Generate कर दिया है। (संलग्नक–4)।
5	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु नोडल अधिकारी द्वारा मांग नहीं की गयी है।
6	State Govt. may upload correct distance of the proposed site for diversion from the boundary of RF/PF at para-7 of online Part-II	उक्त शर्त का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

पंत्राक 1494 / पी.एम.जी.एस.वाई. / सिं.ख. / तदिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता यू.आर.आर.डी.ए. देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता ग.क्षे. देहरादून।

O/c

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

D/Man

मूल्यांकन-

(संलग्नक-01)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-08-2019

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6195900144
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/266/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHIUttarkashi
Amount(in Rs)	2755737/-

Amount In Words :Twenty-Seven Lakh Fifty-Five Thousand Seven Hundred and Thirty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896195900144 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-08-2019

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6195900144
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/266/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address:	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHI Uttarkashi
Amount(in Rs)	2755737/-

Amount In Words :Twenty-Seven Lakh Fifty-Five Thousand Seven Hundred and Thirty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896195900144 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/8880/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8880/2014) Chinyalisaur to Kot-Bagi motor Road from Km. 7.00 to Km. 10.00 till kot village	ROAD88802014752	6188800752	17 Apr 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 117336/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 117336/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Dec 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 23 Dec 2022 Transaction Date : 17 Jan 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/26112022132345527_F Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.as
2	FP/UK/ROAD/9574/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9574/2015) Nakuri Singot Motor Road To Paab Motor Road	ROAD95742015469	6195740469	02 May 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, REMAINING NPV : 489052.2/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 489052.2/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Sep 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Sep 2022 Transaction Date : 17 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/20092022153046706_F Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.as
3	FP/UK/ROAD/39017/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39017/2019) Thirang to Salang Motor Road	ROAD390172019972	6139017972	04 Sep 2020	CA: 2189673/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2133279/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4322952/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 05 Oct 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Oct 2020 Transaction Date : 20 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1011312 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor
4	FP/UK/ROAD/9590/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9590/2015) DT Road to Kumarkot Motor Road	ROAD95902015144	6195900144	25 Oct 2018	CA: 1158687/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1597050/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2755737/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 29 Aug 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2019 Transaction Date : 07 Sep 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7112212 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor
5	FP/UK/ROAD/8571/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8571/2014) construction of chinyalisaur jogath motor road to Bagodi motor Road	ROAD85712014539	11385712014539	21 Apr 2015	CA: 377234/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1114555/-, Strip plantation : 570000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2061789/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 25 Apr 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date :30 Jul 2015	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/4111112 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor
6	FP/UK/ROAD/9574/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9574/2015) Nakuri Singot Motor Road To Paab Motor Road	ROAD95742015610	11395742015610	02 May 2015	CA: 283920/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 922740/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1206660/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 24 May 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date : 25 May 2015	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5112012 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor

(संलग्नक -02)

8

FORM NO. C. K. 53

No. of layout	Information to be furnished	Information furnished
1	2	3
	Name of village or villages where the Panchayat is to be formed	पोखरिपालगांव
	Area in acors on which Panchayat is to be formed.	66.072
	Date of application :	12-6-93
	Name of the applicants with percentege and address.	ग्राम पंचायत/पोखरिपालगांव (?)
	Do the applicants fulfil the qualifications laid down in ruld 5.	[illegible]
	Does the area in question be in the salagri boundary of the village.	है।
	Did 1/3 residents Hissedars, Khaikar of the village enter objection to the Scheme ? What is the total no. of (1) Resident Hisedars and Khaikars :	[illegible]
	Has a notice been served on : (1) Headman/Headman of the village or village applying. (2) Headman of the adject village (name of the villages). (3) Headman of all the villages recorded in a forest settlement as having rights or concession in the area covered (Name of all such villages).	[illegible]
	Did the notice specify the situation and limits of the area applied for and the purpose for which it is required ?	[illegible]
	Was a date fixed for the hearing of the claims and objection ? (Name & Date)	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं (?)
	Name as claiments and objectors with address and say if all the claims and objectors have been disposed of (mention the date of disposal)	[illegible]
	Were the following called to elect the Panchayat :— (1) Sesssi residents of the area. (2) Others who will benefit thereby mentioned the date of election.	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं (?)

2	2	3
	Name of the Panches elected together with their address and mentioned agents each of the numbers of votes obtained	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	Name of the Sarpanch with address elected by the Panches.	
	Has any agreement been taken from the Panchayat and have the terms of agreement been prescribed wite regard of the conditions perfailing in the localety ?	
	Mentioned the date of agreement.	
	Recommendations of the Deputy Commissioner.	SIGNATURE WITH DATE
	Orders of the Commissioner	SIGNATURE WITH DATE
	Number and date of Commissioner's order intimated to the Deputy Commissioner.	

नोटिस

(पंचायती जंगल नियम चार के अनुसार)

बनाम

प्रधान ग्राम सभा एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम [illegible] पट्टी [illegible] जिला उत्तरकाशी को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम [illegible] के साथ अस्सी/हाल वालों ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वे अपने ग्राम [illegible] में जिसकी सीमा इस प्रकार है [illegible]

बन्दोबस्ती सीमोन्तर्गत तोक [illegible] 1516 1571 1522 [illegible]

में वन पंचायत का गठन करना चाहते हैं और यह इच्छा रखते हैं कि यह भूमि या जंगल उन्हें ग्रांट के तौर पर बिना रकम के दे दिया जावे।

यदि इस भूमि के जंगल के लिये स्वीकार कर दिये जाने में आप लोगों को कोई आपत्ति हो अथवा इसमें आपका हक साल अस्सी/हाल बन्दोबस्त का या और कोई अधिकार हो तो उसको प्रमाण सहित उपस्थित करें।

हकों की उजरदारी सविस्तार कारण व प्रमाण सहित अर्थात साल अस्सी व चकनामे की नकल या अदालत के किसी फैसले की नकल जिसके आधार पर उज्र हो नोटिस जारी होने के एक माह अन्दर दिनांक 29/3/04 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह उज्रदारी या तो आप स्वयं आकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा डाक के द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेज सकते हैं। उजरदारी प्राप्त होने पर हकों के निर्णय के लिये अलग तारीख नियुक्त की जावेगी और उसकी सूचना आपको फिर दी जावेगी।

यदि निश्चित अवधि के अन्दर कोई उज्र उपस्थित न होगा तो यह समझा जावेगा कि इस भूमि में किसी का कोई हक और उज्र नहीं है और प्रार्थना पत्र ग्रान्ट की स्वीकृत के लिये श्रीमान आयुक्त महोदय गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में भेजा जायेगा पीछे किसी के कोई उज्र पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

तारीख

वन पंचायत अधिकारी/
उपजिलाधिकारी
[illegible]
उत्तरकाशी

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिज्ञा-पत्र (AGREEMENT)

श्रीमान गवर्नर महोदय उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि श्रीमान ~~[illegible]~~ [illegible]
निम्नलिखित पंचों के मध्य जिनके निवास ग्राम उनके नामों के साथ अंकित है :—

पंचों का नाम व पता

१. श्रीमती मुन्नीदेवी — ग्राम [illegible] — [illegible] महिला सदस्य
२. श्री पूरनलाल — " — " — " — पुरुष
३. फतेसिंह — — " — पुरुष सामान्य - सदस्य
४. मालादेवी — — " — महिला — " —
५. कुमादेवी — — " — — " — — " —
६. हेमन्तीदेवी — — " — — " — — " —
७. उमेदसिंह — — " — पुरुष — " —
८. अमरसिंह — — " — — " — — " —
९. मुरारीसिंह — — " — — " — सदस्य

२— श्रीमान गवर्नर महोदय उत्तर प्रदेश इस प्रतिज्ञा पत्र द्वारा इस जंगल व भूमि को खसरे में अंकित है ऊपर लिखे पंचों को ग्रान्ट/एसेसमेन्ट पर देते हैं कि ये पंच निम्नलिखित और पंचायती जंगलों के नियमों के अनुसार इस जंगल व भूमि रक्षा करना स्वीकार करते हैं।

(क) पंचायती जंगल की उपज अपने ही गाँव वालों को देंगे और उन हकदारान को देंगे जिनका अधिकार डिप्टी कमीशनर महोदय ने माना है।

(ख) पेड़ों का नष्ट कर काटा जाना रोकेंगे।

(ग) इस भूमि में कभी किसी की खेती नहीं होने देंगे और इस भूमि का बंटवारा या बयनामा नहीं होने देंगे।

(घ) सीमाबन्दी के चीनवाये बनायेंगे और उनको सदा सुरक्षित रखेंगे।

(ङ) श्रीमान डिप्टी कमिशनर महोदय या फोरेस्ट पंचायत ऑफिसर इस जंगल के सुधार और रक्षा के बारे में जो आज्ञायें समय-समय पर देते रहेंगे उनका प्रतिपालन करेंगे। इन आज्ञाओं में पूर्व विधान का संशोधन भी सम्मिलित हो सकता है।

(च) पंचायत के जंगल कोष और अन्य सम्पति की रक्षा के उत्तरदायी रहेंगे।

(छ) निम्नलिखित रजिस्टर और आय व्यय का हिसाब श्रीमान डिप्टी कमिशनर या फोरेस्ट पंचायत ऑफिसर महोदय के बताये अनुसार रखेंगे।

(१) आय व्यय रजिस्टर

(२) रजिस्टर परमिट

(३) रसीद किताब

(४) रजिस्टर कार्यवाही

[illegible] प-11

[illegible] उपजोधी [illegible] ग्राम – [illegible] परगना [illegible] तहसील – [illegible] जिला – [illegible]

27.	[illegible]			[illegible]	1523	3.711
	[illegible]	2	0.060	[illegible]	1525	0.201
		6	0236	[illegible]	do	do
		15	0.011	[illegible]	1545	0.063
		231	5.085	[illegible]	do	do
		131	0.054	[illegible]	1547	0.105
		do	do	[illegible]	1552	6.219
		204	1.143	[illegible]	1553	0.402
		do	do	[illegible]	do	do
		224	4.041	[illegible]	1614	0.481
		do	do	[illegible]	do	do
		248	6.138	[illegible]	1637	0.252
		250	0.145	[illegible]	do	do
		261	6.534	[illegible]	1716	0.191
		do	do	[illegible]	1718	0.321
		298	0.017	[illegible]	do	do
		do	do		1747	0.170
		855	18.014		do	do
		do	do		1752	0.602
		1514	2.757		do	do
		do	do		1785	3.169
		1521	1.000		1786	3.169
		1522	2.184			

[illegible] 80.445

[illegible] अधिकारी

नजरी नक्शा वन पंचायत क्षेत्र ग्राम पोखरियालगांव
तहसील - डुण्डा जिला - उत्तरकाशी गढ़वाल का

(संलग्नक-3)

155

प्रारुप–51

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–8 के अन्तर्गत डी0 टी0 रोड से कुमारकोट मोटर मार्ग (4.60 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 1.89 है0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

(सलग्नक-3)

155

प्रारुप–51

रियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–8 के अन्तर्गत डी0 टी0 रोड से कुमारकोट टर मार्ग (4.60 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 1.89 है0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा न0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का तान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी